संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences

RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)

Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्र संख्या : पी.जी.आई./अधिष्ठान/आर.एस.डी. संख्या 4852/टी/भाग-4/7291/2025 दिनांक: 4-8-2025

कार्यालय आदेश

श्री निखिल चन्द्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी पहचान संख्या- 1100050274, समुह- क, लेवल- 13 संस्थान में दिनांक 26.11.1991 (पूर्वान्ह) से कार्यरत् हैं, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2025 (अपराह्न) से संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहें हैं।

श्री निखिल चन्द्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को निम्नलिखित सेवानैवृत्तिक लाभ बिना अदेयता प्रमाण पत्र के भुगतान किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं एवं श्री चन्द्रा से अपेक्षा की जाती है कि सामूहिक बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के प्रपत्र पूर्ण कर वित्त विभाग को प्रस्तुत करें -

1. सामान्य भविष्य निधि का भुगतान (नियमानुसार)
2. जी.आई.एस. का भुगतान (नियमानुसार)

श्री निखिल चन्द्रा को कार्यालय आदेश संख्या **PGI/Dir/Camp/547/2023 dated 02.09.2023** के अनुपालन में निर्देशित किया जाता है कि वे अपना अदेयता प्रमाण पत्र, पेंशन आदि से सम्बन्धित प्रपत्र पूर्ण कर सेवानैवृत्तिक तिथि से तीन माह पूर्व अधिष्ठान अनुभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अदेयता प्रमाण पत्र एवं पेंशन बुक प्राप्त होने के उपरांत अन्य सेवानैवृत्तिक देयकों के भुगतान सम्बन्धी आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

यह आदेश श्री निखिल चन्द्रा की व्यैक्तिगत पत्रावली आर.एस.डी. संख्या 4852/टी/भाग-4 के नोटशीट संख्या 118 पर अध्यक्ष, संजय गॉधी पी.जी.आई./मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त अनुमोदनापरांत निर्गत किया जा रहा हैं।

(ले. कर्नल जयदीप सिंह घुम्मन)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्री निखिल चन्द्रा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय।
2. निदेशक महोदय को कार्यालय आदेश दिनांक 02.09.2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ।
3. वित्त अधिकारी।
4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष।
5. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय।
6. विभागाध्यक्ष, बी.एच.आई. को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संपत्ति विभाग।
8. जन सम्पर्क अधिकारी।
9. सम्बन्धित पत्रावली।
10. गार्ड फाइल।

01 Aug 2025
(ले. कर्नल जयदीप सिंह घुम्मन)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)